17/2/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/133

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्या:– 10/2023 GCMS:-2023/133 **दायरा दिनांक:– 04.01.2023**

–: अनवान :–

गुरमेलसिंह पुत्र मितसिंह जाति जटसिख निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

.....वादी

बनाम

1. इन्द्रसिंह
2. जोगेन्द्रसिंह } पुत्रगण दीपासिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम पोस्ट डाला तहसील व जिला मोंगा पंजाब।
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. उप–पंजीयक सूरतगढ़।

......प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता, वादी
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।
3. प्रतिवादी न. 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

– :: निर्णय ::–

दिनांक:– 17.02.2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि खातेदार जंगीरसिंह पुत्र चननसिंह जाति जटसिख निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को चक 12 एस जी आर के पत्थर नम्बर 34/314 के किला नम्बर 10 ता 20/11.00 बीघा व 25 में 01 बिस्वा = 11.01 बीघा तथा पत्थर नम्बर 34/311 के किला नम्बर 9 में 1.00 बीघा, 11 में 12 बिस्वा, 12 में 1.00 बीघा = 2.12 बीघा दोनो पत्थरो में 13.13 बीघा कं/अं.क. भूमि तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 12.03.1957 को पुख्ता आवंटन हुई थी जिसकी तमाम किश्ते खजानाराज में जमा करवा देने पर श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.11.1978 को खातेदारी सनद 14537 जारी कर दी गई। खातेदार जंगीरसिंह ने अपनी जरूरत व अन्य जगह जमीन जायदाद खरीदने के लिए उक्तवर्णित अपनी खातेदारी 13.13 बीघा भूमि वादी गुरमेलसिंह को दिनांक 01.04.1983 को बेचान करके बयनामा उप–पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ में श्रीमान जिला कलेक्टर से मंजूरी लेकर पंजीबद्ध करवा दिया था व कब्जा काश्त खरीदशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः— 10/2023)

भूमि का प्राप्त कर लिया गया था। नहरी विभाग द्वारा पानी की सुविधा के अनुसार पुनः चकबंदी होने पर पत्थर नम्बर 34/314 चक 15 एस.टी.बी. में चला गया तथा पत्थर नम्बर 34/311 चक 14 एस.टी.बी. बी में चला गया। चक 15 एस.टी.बी.(पूर्व चक 12 एस.जी.आर.) का पत्थर नम्बर 34/314 की भूमि 11.01 बीघा का इन्तकाल तो वादी के नाम दर्ज हो गया परन्तु चक 14 एस.टी.बी. बी(पूर्व चक 12 एस.जी.आर) का पत्थर नम्बर 34/314 की भूमि 2.12 बीघा का इन्तकाल मुताबिक बैयनामा के सहबन से रकबा दूसरे चक में होने से दर्ज नहीं हुआ। राजस्व रिकार्ड में जैरवाद यह रकबा गैरखातेदारी का दर्ज रहा जबकि खातेदारी अधिकार सनद् दिनांक 18.11. 1978 को ही जारी हो गये थे। वादी ने अदालत से निवेदन किया हैं कि पत्थर नम्बर 34/311 का किला नम्बर 12 का 0.2530 हैक्टेयर रकबा भू प्रबन्धक विभाग द्वारा सहबन से प्रतिवादी न. 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया जिसको पुनः मूल अलोटी खातेदार जंगीरसिंह के नाम दर्ज करने के बाद मुताबिक बैयनामा दिनांक 01.04.1983 के वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए वादी के खाते में पूर्व में दर्ज रकबे के साथ दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर डिक्री जारी की जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। स्टेट की तरफ से जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण 1—2 की तामील साधारण नोटिस व रजिस्टर्ड नोटिस से तामील नहीं होने पर वादी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जरिये अखबार पंजाब केसरी दिनांक 02.07.2023 को करवायी गयी। प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 04.08.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। किसी भी पक्षकार द्वारा वाद पत्र का विरोध नहीं किये जाने पर साक्ष्य वादी करवाये जाकर बहस सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जंगीरसिंह पुत्र चननसिंह के नाम से चक 12 एस जी आर के पत्थर नम्बर 34/311 के किला नम्बर 9, 11 व 12 का 2.12 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड व कब्जा काश्त में थी। उनके द्वारा 2.12 बीघा खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 01.04.1983 को वादी को बैय करके बैयनामा उप—पंजीयक सूरतगढ़ से तस्दीक करवा दिया गया था। इसमें से चक 14 एस.टी.बी. के पत्थर नम्बर 34/311 के किला नम्बर 9 व 11 की 0.4040 हैक्टेयर भूमि को वादी के नाम दर्ज करने की डिक्री इसी अदालत द्वारा वाद संख्या 73/2018 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को कर दी थी व उसको राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया है। [illegible] बैयनामा के द्वारा ही यह एक बीघा रकबा पत्थर नम्बर 34/311 का किला नम्बर 12 का 0.2530 हैक्टेयर हैं जो प्रतिवादी न. 1 व 2 के नाम से [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कानूनी नजीरें भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 10/2023)

सेटलमेन्ट विभाग को बिना अदालत आदेश के किसी काश्तकार का रकबा किसी दूसरे के नाम से दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। इसलिए वादी का वाद पत्र बहक वादी डिक्री जारी की जावे।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में ऐतराज उठाया कि बैयनामा पुराना हैं व राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निर्णय किया जाना कानूनसम्मत होगा। प्रतिवादी न. 1 व 2 की तरफ से किसी के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदिया, गिरदावरियां व बैयनामा की सत्यचित्रप्रति व खातेदारी सनद् का भी ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। बैयनामा उप–पंजीयक कार्यालय से तस्दीकशुदा हैं व साक्ष्य से बैयनामा को सिद्ध किया गया हैं। बैयनामा में बेचानकर्ता की गैरहाजरी में इन्तकाल दर्ज करने की बात लिखी हैं व स्टेट को पक्षकार बनाकर उन्हें भी सुना गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने विभिन्न निर्णयों व इन्तकाल बाबत जारी दिशा निर्देशों में यह हिदायत दी गई हैं कि कोई विपरीत परिस्थितियां या विवाद न हो तो बैयनामा लम्बे समय पूर्व का हो तो भी इन्तकाल दर्ज करने में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए चूंकि भूमि बेचान कर्ता ने खरीददार के पक्ष में बैयनामा तस्दीक करवाकर अपने सारे अधिकार भूमि खरीददार को सौंप दिये थे। भूमि अन्तरण अधिनियम में भी यह प्रावधान हैं कि भूमि धारक जब अपनी भूमि/सम्पति किसी पक्षकार के पक्ष में बैयनामा तस्दी करवा देता हैं तो उसके बाद में बेचानकर्ता का उस भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं रह जाता हैं। बैयनामा दिनांक 01.04.1983 का हैं व बैयनामा की स्वीकृति श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से दिनांक 26.02.1980 को ली गई का विवरण बैयनामा में दर्ज है व खातेदारी अधिकार जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से सनद् संख्या 14537 दिनांक 18.11.1978 की जारी की हुई होने से साबित हैं कि रकबा बेचान से 5 वर्ष पूर्व से ही खातेदारी का था। संबंधित कानून का अधोपान्त अध्ययन करने व मनन करने व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन करने पर यह निष्कर्ष निकलता हैं कि जैरवाद भूमि का श्रीमान जिला कलक्टर महोदया से खातेदारी सनद् जारी होने व रकबा के बेचान की स्वीकृति मिलने के बाद ही वादी के पक्ष में बैयनामा करवाया गया हैं व किसी कारणवश खरीददार के पक्ष में इन्तकाल नहीं हो सका। वादी को जरिये वाद पत्र अपने नाम से खरीदशुदा भूमि का दावा कर बेचानकर्ता/प्रतिवादी न. 1 – 2 का नाम कलमजन कर वादी खरीददार की खरीदशुदा 1 बीघा जैरवाद भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकार होने से वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना कानूनसम्मत होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:37 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 14 एस.टी.बी. बी(पुराना चक 12 एस.जी.आर.) की जमाबंदी संवंत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 84/61 पटवार हल्का संघर भू.अभि.नि. क्षेत्र रामसरा जाखड़ान

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 10/2023)

के पत्थर नम्बर 34/311 मु.न. 1 के किला नम्बर 12 की 0.2530 हैक्टेयर बारानी/अ.क. भूमि जो प्रतिवादी न. 1 व 2 इन्द्रसिंह व जोगेन्द्रसिंह के नाम दर्ज हैं, का नाम कलमजन कर जंगीरसिंह पुत्र चननसिंह जाति जटसिख निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ को खातेदारी सनद् 14537 दिनांक 18.11.1978 के आधार पर खातेदारी का इन्तकाल दर्ज कर भूमि बेचानकर्ता जंगीरसिंह के स्थान पर बैयनामा दिनांक 01.04.1983 के आधार पर वादी गुरमेलसिह पुत्र मितसिंह जाति जटसिख निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:37 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

गुरमेलसिंह पुत्र मितसिंह जाति जटसिख निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

.....वादी

बनाम

1. इन्द्रसिंह } पुत्रगण दीपासिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम पोस्ट डाला
2. जोगेन्द्रसिंह } तहसील व जिला मोंगा पंजाब।
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. उप–पंजीयक सूरतगढ़।

......प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 10 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री भागीरथ बिश्नोई व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 14 एस.टी. बी. बी(पुराना चक 12 एस.जी.आर.) की जमाबंदी संवंत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 84/61 पटवार हल्का संघर भू.अभि.नि. क्षेत्र रामसरा जाखड़ान के पत्थर नम्बर 34/311 मु.न. 1 के किला नम्बर 12 की 0.2530 हैक्टेयर बारानी/अ.क. भूमि जो प्रतिवादी न. 1 व 2 इन्द्रसिंह व जोगेन्द्रसिंह के नाम दर्ज हैं, का नाम कलमजन कर जंगीरसिंह पुत्र चननसिंह जाति जटसिख निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ को खातेदारी सनद् 14537 दिनांक 18.11.1978 के आधार पर खातेदारी का इन्तकाल दर्ज कर भूमि बेचानकर्ता जंगीरसिंह के स्थान पर बैयनामा दिनांक 01.04.1983 के आधार पर वादी गुरमेलसिह पुत्र मितसिंह जाति जटसिख निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें।

नोज.......... × .... मुबलिग.........× .... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फस्दो की पालना ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17.02.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:37 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)